न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 65/2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 आसूराम 2 मंगनाराम 3 सिदाराम 4 हीराराम पिसरान खींयाराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ, गरल तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 खींयाराम पुत्र हरजीराम 2 भगाराम 3 हेमाराम पिसरान जगरूपाराम 4 दली पत्नी जगरूपाराम 5 पदमाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ, गरल तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री वीरमाराम चौधरी वकील वादीगण।
2. श्री मोहनलाल चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 07/01/20

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, पूर्वज हरजीराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा जोगेसर कुआ पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 453/433 रकबा 156.02 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि खींयाराम के दादा खेमाराम के नाम से पैमाईश होकर खातेदारी में दर्ज हुई। खेमाराम की फौतगी के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 खींयाराम के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्वज हरजीराम का 1/3 हिस्सा है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 खींयाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/15–1/15 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 खींयाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का भी 1/15–1/15 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी सहखातेदार घोषित कर 1/15–1/15 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 खींयाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 05.09.2007 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जोगेसर कुआ पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 453/433 रकबा 156.02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 खींयाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 07/01/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 आसूराम 2 मंगनाराम 3 सिदाराम 4 हीराराम पिसरान खींयाराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ, गरल तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 खींयाराम पुत्र हरजीराम 2 भगाराम 3 हेमाराम पिसरान जगरूपाराम 4 दली पत्नी जगरूपाराम 5 पदमाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ, गरल तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 65/2019
निर्णय दिनांक :– 07/01/20

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07/01/20 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जोगेसर कुआ पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 453/433 रकबा 156.02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 खींयाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 07/01/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.02.24 17:22:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: